अध्याय-12 प्रत्यायुक्त विधान.

विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना.

115. (1) जब किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित विधान-कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सभा के सामने रखे जायें, तो तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि, जिनके लिये उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी, जब तक कि तत्संगत अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो.

(2) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि उक्त कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाये.

संशोधन पर चर्चा के लिये समय का नियतन.

116. अध्यक्ष, सभा नेता के परामर्श से ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाये, विचार करने और उसे पारित करने के लिये एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग, जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा :

परन्तु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे और उसमें इन नियमों का पालन किया जायेगा.